रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED No. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1985 (श्रावण 19, 1907)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1985 (SRAVANA 19, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	587
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	993
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1101
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1941
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	4297
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	71
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	309
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	27031
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	613
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1699
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	133
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	587
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	993
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1101
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	1941
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	4297
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. .	71
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	309
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	27031
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. .	613
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1699
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .	133
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1985

सं० 72-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के पुलिस निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री आर० पी० सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला बदायूं।

श्री इन्द्र पाल सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला बदायूं।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 दिसम्बर, 1981, को लगभग 19.15 बजे थाना बिल्सी के थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि डाकुओं का एक गिरोह घनौली गांव के श्री राम सिंह नामक व्यक्ति के घर में डाका डालने के लिए गुधनी गांव में एकत्रित हो रहा है। यह सूचना जिला मुख्यालय को भेज दी गयी और पुलिस अधीक्षक, श्री आर० पी० सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, श्री इन्द्र पाल सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक सहित आरक्षी दल के साथ गुधनी गांव पहुंचे और उस बाग को घेर लिया जिसमें गिरोह को एकत्र होना था। गिरोह लगभग आधी रात को एकत्र हुआ। पुलिस दल ने गिरोह को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी और थी एल पी गोलियां चलायीं। गिरोह ने पुलिस दल पर अंधाधुन्ध गोलियां चलायी। पुलिस दल ने जवाब में गोली चलायी और डाकुओं को पकड़ने के लिए पीछे से घेरा डाल दिया। पुलिस दल की साहसपूर्ण योजना के कारण बाग से ग्यारह डाकू पकड़े गए और अन्य अंधेरे की आड़ में भाग गए। पुलिस उप अधीक्षक ने 6 उप निरीक्षकों, 3 हैड कांस्टेबलों तथा 11 कांस्टेबलों और श्री इन्द्र पाल सिंह, पुलिस उप निरीक्षक सहित भागते हुए डाकुओं का पीछा किया। 13 किलोमीटर तक लगातार पीछा किया जिसमें दोनों ओर से छुट पुट गोलियां चलायी गयीं। श्री सिंह ने पुलिस घेरे को मजबूत किया और डाकुओं को उसी ओर धकेला। डाकू पिल्खौल-खिलौड़ा की ओर बचकर भाग निकले और गोधी-का-नागला पहुंचे तथा एक बाग में छिप गए। पुलिस दल ने डाकुओं का पता लगाया और उन्हें आत्म समर्पण करने के लिए चेतावनी दी, परन्तु डाकुओं ने गोली चलाना आरम्भ कर दिया। इस समय पुलिस दल दो ग्रुपों में बंट गया, पहले दल ने गोली चलाना जारी रखा और दूसरा दल प्रत्यक्ष आक्रमण के लिए डाकुओं की ओर रेंगते हुए बढ़ा। अपने को घिरा पाकर डाकू बाग से निकल कर भागे जिससे कि वे पुलिस की गोली से बच सकें। फिर भी चार डाकू गोलीबारी में मारे गए जिन्हें बाद में पहचाना गया कि वे राधे उर्फ नातिया, केशो उर्फ कृष्णा, मुरारी तथा चन्द्रपाल हैं जो सभी एटा जिले के हैं।

इस मुठभेड़ में श्री आर० पी० सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री इन्द्र पाल सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 दिसम्बर, 1981, से दिया जाएगा।

सं० 75-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शैलजा कांत मिश्रा,
पुलिस अधीक्षक (शहर),
अलीगढ़।

श्री शिवकुमार शर्मा,
पुलिस उप अधीक्षक,
अलीगढ़।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 जून, 1984, को अलीगढ़ के पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि डाकू अन्सर अपने दो साथियों के साथ अपनी फिएट कार के साथ अलीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित हैं। श्री शैलजा कांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक (शहर), श्री शिव कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, श्री मक्सूद अहमद, थानेदार, सिविल लाईन और पुलिस दल की एक छोटी टुकड़ी के साथ छापा मारने के लिए गए। हाईडल निरीक्षण हाऊस पहुंचने के बाद, पुलिस दल, सादे कपड़ों में विश्वविद्यालय की आर्ट-फैकल्टी की तरफ बढ़े। फिएट कार का पता लगाने के लिए, श्री एस० के० मिश्रा, पुलिस अधीक्षक और श्री एस० के० शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, गैराज तक गए और कार को वहां पर पाने के बारे में पुलिस दल को संकेत किया। अधिकारियों ने देखा कि कार का इंजन स्टार्ट हो चुका था और कार चलने वाली ही थी। उसमें चालक की सीट पर एक व्यक्ति और पीछे की सीट पर दो व्यक्ति बैठे थे। अधिकारियों ने कार में बैठे व्यक्तियों को बाहर आने के लिए कहा। पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति को श्री मिश्रा ने और दूसरे को श्री शर्मा ने घेरा। जिस व्यक्ति को श्री शर्मा घेरे हुए थे उसने चुपके से रिवाल्वर निकाला और उस पर गोली चलायी। गोली श्री शर्मा के बाएं हाथ पर लगी, लेकिन वे घबराए नहीं। वे हमलावर पर झपटे और उसे कार से बाहर खींचा। इस दौरान, कार के ड्राईवर ने भी अपना रिवाल्वर निकाला और श्री मिश्रा पर गोली चलायी। एक गोली श्री मिश्रा के बाएं हाथ पर लगी। स्थिति का फायदा उठाते हुए हमलावर जो बाद में शिनाख्त करने पर अन्सर पाया गया, ने अपने आपको मुक्त कर लिया और कार के आगे की तरफ भागा। सुरक्षित स्थान पर मोर्चा संभालने के बाद अन्सर ने अपनी अर्ध-स्वचालित पिस्तौल निकाली और श्री मिश्रा पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कीं जिन्होंने गैराज को विभाजित करने वाली दीवार के पीछे मोर्चा संभाला। श्री मिश्रा ने गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। इसी दौरान, ड्राइवर ने गैराज के ब्लाक के पास झाड़ियों के नजदीक मोर्चा संभाला और इन दोनों अधिकारियों पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कर दीं।

श्री एस० के० शर्मा अब भी उस व्यक्ति से जो उनके कब्जे में था, हाथापाई कर रहे थे। उस पर अन्सर ने गोली चलायी लेकिन अधिकारी बच गया।

वे एक तरफ को गए और इसी बीच, उनके कब्जे में जो व्यक्ति था, उसने अपने आपको मुक्त कर लिया और अपनी पिस्तौल को दुबारा भरने की कोशिश की। अवसर का लाभ उठाते हुए श्री शर्मा ने तुरन्त गोली चलाई, जिससे हमलावर घटनास्थल पर ही मर गया। ड्राइवर झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गया। अन्सार ने भी भागने की कोशिश की लेकिन श्री मिश्रा ने दिलेरी से पीछा किया और सफलता से उस पर गोली चलाई। जख्मी होने के बावजूद भी, अन्सार ने अपने पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन पुलिस दल ने फिर उस पर गोली चलायी और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने डाकुओं से एक 7.65 कैलीबर अर्ध-स्वचालित पिस्तौल और सी० एम० पिस्तौल बरामद की।

इस मुठभेड़ में श्री शीतला कान्त मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, और श्री शिव कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जून, 1984, से दिया जाएगा।

सं० 76-प्रेज/85—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टबल सं० 67933283,
93 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

5 जून, 1984, को सीमा सुरक्षा बल के विशेष कार्य बल के कमांडो के एक दल को, जिसमें 54 अधिकारी और अन्य पदों के अधिकारी थे, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नजदीक, होटल टेम्पल व्यू से उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। कड़े मुकाबले के बावजूद दल होटल के अन्दर पहुंच गया और विभिन्न मंजिलों से उग्रवादियों को बाहर निकालना प्रारम्भ कर दिया। भवन की तीसरी मंजिल विशेष रूप से संवेदनशील थी क्योंकि वहां पर स्वर्ण मंदिर परिसर की खिड़कियों से भारी गोलीबारी हो रही थी। अपने जीवन के लिए भारी खतरे के बावजूद श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, हैडकांस्टेबल, जो दल में शामिल थे, उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए तीसरी मंजिल पर छोटे दल का नेतृत्व करने के लिए स्वयं आगे आए। जैसे ही वे इस मंजिल पर पहुंचे उन्हें एक गोली लगी, जो उसकी छाती के बाएं भाग में प्रवेश कर गई। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद वे आतंकवादियों का सामना करते रहे और अपने साथियों को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस दल की भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप उग्रवादियों के पास पिछले दरवाजे से भवन छोड़ने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। तत्पश्चात भवन पर विशेष कार्य बल ने कब्जा कर लिया और वहां से उग्रवादियों को पूर्णतया बाहर निकाल दिया। बाद में श्री बिष्ट की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, हैड कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जून, 1984 से दिया जाएगा।

सं० 77-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना मूसानगर,
कानपुर देहात।

श्री ओम प्रकाश ओझा,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना मूसानगर,
कानपुर देहात।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

25 मई, 1981 को श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, थाना अधिकारी, मूसानगर, जिला कानपुर देहात को गांव दुबई में रामचरण केवट के मकान में रघुनाथ मल्लाह के डाकू गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। वे उपलब्ध पुलिस और पी० ए० सी० दल के साथ गांव दुबई पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंच कर श्री शर्मा ने पूरे दल को दो दलों में विभाजित किया। श्री शर्मा पहले दल के प्रभारी थे जबकि दूसरे दल का नेतृत्व श्री अक्षय शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक ने किया। दूसरा दल गांव की पूर्वी दिशा में तैनात किया गया और उन्होंने डाकुओं के छिपने के सम्भावित स्थान को घेर लिया। पहले दल ने श्री रामचरण केवट के मकान को तीन दिशाओं से घेर लिया और उत्तरी दिशा खाली छोड़ दी। जब श्री शर्मा उस मकान, जहां डाकुओं ने शरण ले रखी थी, की ओर जा रहे थे, तो डाकुओं ने उन्हें देख लिया और उन पर गोली चला दी लेकिन उन्होंने तुरन्त आड़ ले ली और आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलाई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक डाकू गोली का निशाना बन गया और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। एक-एक इंच सरक कर श्री शर्मा छिपते हुए ज्वाला केवट के मकान तक पहुंच गए और छत पर मोर्चा संभाल लिया। इस बीच श्री ओझा अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ पश्चिम दिशा से घटनास्थल पर पहुंच गए और श्री अक्षय शर्मा तथा श्री सी० सी० हरिशरण सिंह भी क्रमश: पूर्वी तथा दक्षिण दिशाओं से आगे बढ़ आये और डाकुओं को तीनों दिशाओं से घेर लिया। पुलिस दल ने एक साथ डाकुओं पर गोली चला दी। श्री शर्मा छत से नीचे उतरे और मिट्टी के तेल में भीगा कपड़े का एक टुकड़ा मकान के अन्दर फेंकने के लिए एक कांस्टेबल को दिया। साथ-साथ पुलिस दल ने हथगोले फेंके और मकान में आग लग गयी। इस प्रकार डाकू बाहर आये और भागने की कोशिश की। एक डाकू पुलिस की गोली का शिकार हो गया और मर गया। जैसे ही शेष डाकू भागने की इच्छा से दक्षिण दिशा की ओर पहुंचे तो एक और डाकू पुलिस की गोली से मारा गया। इस समय जो डाकू छिद्दू केवट के एक अन्य मकान में छिपे थे, वे भी फौरन बाहर आ गए और पुलिस दल पर गोली चलाने लगे। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक और डाकू पुलिस की गोली से मारा गया। अन्य डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर भाग गए। घटनास्थल की तलाशी लेने पर छ: डाकू मरे पाये गए। तीन एस० बी० बी० एल० बन्दूकें, एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक, दो एस० बी० बी० एल०, सी० एम० बन्दूकें और भारी मात्रा में भरे तथा खाली कारतूस भी घटनास्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक, और श्री ओम प्रकाश ओझा, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 मई, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 78-प्रेज-85/राष्ट्रपति केरल पुलिस के निम्नलिखित नाकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पी० चन्द्रन, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 2166,
पालघाट।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 फरवरी, 1984, को कांस्टेबल पी० चन्द्रन को उपमंडलीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निकट सब-ट्रेजरी, पालघाट पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। तीन आततायी बेंगा मांगा वासुदेवन, गुरुनी सुन्दरन और

सेतू माधवन, रवि नाम के एक प्रसिद्ध लुटेरे व्यक्ति, के० डी०, जिन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कार्रवाहियों के अधीन मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में लाया गया था, को बचाने के लिए न्यायालय परिसर में आए। लोगों और पुलिस का ध्यान बटाने के लिए उक्त तीन आततायियों ने जोर से शोर किया और वहां हलचल पैदा कर दी। यह देखकर न्यायालय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल परियास्वामी ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। इससे उत्तेजित होकर उनमें से एक आततायी थेंगा मांगा वासुदेवन ने श्री परियास्वामी के दायीं बाजू में चाकू मार दिया। फिर भी कांस्टेबल ने साहस नहीं खोया और हमलावर को काबू में करने की कोशिश की। इस कोशिश को हमलावर के दोस्तों ने विफल कर दिया और वे सभी उस स्थान से बचकर भाग निकले। यह देखकर श्री चन्द्रन ने हमलावर जिसका श्री पेरियास्वामी भी पीछा कर रहे थे, का बड़ी तेजी से पीछा किया। श्री चन्द्रन ने हमलावर वासुदेवन, जिसके हाथ में चाकू था, को पकड़ने का प्रयास किया। इस हाथापाई में श्री चन्द्रन के पेट में चाकू लग गया। अपने गम्भीर जख्मों की परवाह किए बिना, उन्होंने हमलावर का पीछा करना नहीं छोड़ा और लोगों की सहायता से उसे गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल चन्द्रन को तुरन्त जिला अस्पताल, पालघाट, में दाखिल किया गया और एक बड़ा आपरेशन करने के बाद उनको मैडिकल कालेज अस्पताल कोयम्बतूर में भेज दिया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

इस घटना में श्री पी० चन्द्रन, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी 1984 से दिया जाएगा।

सं० 79-प्रेज/85-राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कक्कन राम,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला गोरखपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

20 नवम्बर 1982, को हरी शंकर गिरोह के चार सदस्य मोटर-साइकिल पर आए और श्री अंगद सिंह, श्री सरजू यादव (विधायक का अंग रक्षक), श्री जयराम सिंह, श्री प्रमोद कुमार सिंह, श्री जगत पाल सिंह और श्री अखिलेश कुमार सिंह, जो मोहल्ला मियां बाजार, गोरखपुर शहर में श्रीमती गौरी देवी, विधायक के बरामदे में बैठे थे, पर आक्रमण किया। अपराधियों ने इस वारदात में देशी बमों और पिस्तौलों का प्रयोग किया, जिसमें श्री अंगद सिंह और श्री सरजू यादव को चोटें आईं। श्री सरजू यादव ने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई, लेकिन अपराधी कलैक्टोरेट चौराहे की ओर भाग गये। श्री कक्कन राम जो गश्ती ड्यूटी पर थे और अपनी मोटर साइकिल पर उस रास्ते से गुजर रहे थे, ने बमों की आवाज सुनी और चार अपराधियों को, उनके हाथों में पिस्तौलें लिए हुए एक मोटर साइकिल पर भागते हुए देखा। उन्होंने तुरन्त अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपराधियों की मोटर साइकिल का पीछा किया और अपनी मोटर साइकिल की अपराधियों की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप वे और एक अपराधी बीतन सिंह गिर गये। अपराधी बीतन सिंह खड़ा हो गया और लोगों को अपने हाथ में देशी रिवाल्वर दिखाकर धमकियां देते हुए भाग गया। गिरने से चोटें आने के बावजूद श्री कक्कन राम अपराधी का पीछा करते रहे जो रुक-रुक कर गोली चलाते हुए उन्हें धमकी दे रहा था। अन्ततः अपराधी अग्रवाल क्रीम सेंटर गोलघर में घुस गया और श्री कक्कन राम पर गोली चलाई। सौभाग्यवश गोली चूक गयी और श्री कक्कन राम ने स्थिति का लाभ उठाकर हाथापाई करने के बाद अपराधी की पिस्तौल पकड़ ली और उसे गिरफ्तार कर लिया।

इस मुठभेड़ में, श्री कक्कन राम, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 नवम्बर 1982 से दिया जाएगा।

सु० मौलिकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1985

आदेश

विषय :—आर०-66 संरचना में 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए ओ० एन० जी० सी० (बी० ओ०पी०) पैट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ०-12012/27/85-ओ० एन० जी० डी०-4—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन देहरादून, (जिसको इसके बाद आयोग कहा जाएगा) को आर-66 संरचना में 15 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में ट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-5-85 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं। लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाय गए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में यें दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मन्त्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी।

1. लाईसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाईसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपए।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषण आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गये बाथी मीट्रिक सतही नमूने धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रखे। मंत्रालय/नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

(ड) आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ढ) आयोग समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(ण) संकलित आंकड़ों का एक पूरा सेट चीफ हाइड्रोग्राफर, देहरादून को निशुल्क सप्लाई किया जाता है।

(त) विदेशी जल पोत/रिगों का उन्हें वास्तविक रूप से काम में लाने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा मुख्य नौसेना बेस पर नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है।

प्रत्येक जल पोत/रिग के सम्बन्ध में विवरणों की आठ प्रतियां नौसेना मुख्यालय को इनके आने से छ० सप्ताह पहले भेज दी जानी होती है ताकि नौसेना दल की प्रतिनियुक्ति करने में सुविधा हो।

(थ) सर्वेक्षण शुरू किए/समाप्त किये जाने की तिथि सूचित की जाएगी ताकि भविष्य में संचालनात्मक योजना बनाने में सुविधा हो।

(अनुबन्ध "क")

आर०-66 संरचना के 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के भूगोली समन्वय

बिंदु	अक्षांश			रेखांश		
क	72°	17″	27″	18°	08″	12″
ख	72°	18″	47″	18°	08″	44″
ग	72°	17″	20″	18°	11″	20″
घ	72°	16″	00″	18°	10″	48″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर ।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर।

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

औद्योगिक विकास विभाग

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 1985

संकल्प

सं० औद्योगिक गैस/2(9)/84-संखंड-2—भारत सरकार ने औद्योगिक गैस विकास नामिका का इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है:—

1. श्री एन० बिस्वास, उप महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली-11 — अध्यक्ष
2. श्री के० के० कपूर, मैसर्स कपूर प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली-11 — सदस्य
3. श्री आर० सी० अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स कर्नाटक आक्सीजन लि०, व्हाइटफील्ड रोड, महादेवपुरा पो० ओ, बंगलोर-48 — ”
4. श्री जी० बैल्लाय, उप-प्रधान, मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन लि०, 8 बीबीडी बाग ईस्ट, कलकत्ता। — ”
5. श्री एस० कुझिराजा, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि०, आक्सीजन हाउस, पी०-34, तारातला रोड, इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता-88 — ”
6. श्री पी० किशोर, उप प्रधान, मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसेटायलेन लि०, 8 बी बी डी बाग ईस्ट, कलकत्ता-1 — सदस्य
7. श्री एम० एस० शास्त्री सेल्स मैनेजर (क्रायोजेनिक) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स विशाखापट्टनम-12 — ”
8. श्री सुशील कुमार, प्रबंधक, भारत पम्पस एण्ड कम्प्रसर्स लि०, नैनी इलाहाबाद-10 — ”
9. श्री पी० के० जैन, मैसर्स इण्डस्ट्रियल आक्सीजन कं० प्र० लि०, 68, जाली मेकर चेम्बर्स-11 नारीमन प्वाइंट, बम्बई, — ”
10. डा० ए० पी० जैन सहायक निदेशक, नैशनल फिजिकल लेबोरेट्री, नई दिल्ली, — ”
11. चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसीव, नागपुर। — ”
12. श्री सी० ए० इंजीनियर, बम्बई कार्बन डायक्साइड कारपोरेशन, बम्बई। — ”
13. महासचिव, अखिल भारतीय गैस निर्माता संघ, एस० एस० वेद, सचिव (वैकल्पिक सदस्य) 9-ए कनाट प्लेस, नई दिल्ली। — ”

14. श्री एम० एस० ग्रोवर, सदस्य-सचिव
औद्योगिक सलाहकार
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली,

2. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :-

(1) उद्योग विकास की वर्तमान अवस्था पर विचार और इसके विकास में तेजी लाने के अभ्युपायों की सिफारिश करना ।

(2) प्रौद्योगिकी तथा किस्म उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का पूर्वानुभाव लगाना ।

(3) प्राप्त मानकीकरण की सीमा की जांच और भारतीय मानक संस्थान के परामर्श से अधिकाधिक मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना ।

(4) सामग्री के मान-दंडों पर और ऊर्जा संरक्षण के पहलुओं पर विचार करना ।

(5) विभिन्न उद्योगों की राज्यवार/ क्षेत्रवार आवश्यकताओं का अध्ययन और बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगामी वर्षों में और अधिक क्षमता सृजन करने का सुझाव देना ।

(6) योजनाबद्ध अधिष्ठापित क्षमता के लिए आर्थिक मान-दंडों का अध्ययन और निवेश लागत में कमी करना और उद्योग प्रतिस्पर्द्धा की चेतना को बढ़ावा देना ।

(7) आधुनिकीकरण तथा

(8) अन्य कोई उचित विषय ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० गंवाल,
निदेशक प्रशासन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, 110001, दिनांक 10 जुलाई 1985

सं०14/11/83-समिति—जनसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रोफसर एस के बासु, निदेशक, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, को प्रोफेसर पी के रोहतगी, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल, जिन्हें 27 मई, 1985 से 15 मई, 1986 तक के लिए छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई है, के स्थान पर 25 जून, 1985 से 25 मई, 1986 तक के लिए इंजीनियरी विज्ञान समूह के समन्वय परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । परिणामस्वरूप प्रोफेसर बासु उक्त अवधि के लिए शासी सभा के सदस्य तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सोसायटी के सदस्य रहेंगे तथा भारत के गजट के भाग –1, अनुभाग–1 में प्रकाशित अधिसूचना सं०1/7/84–समिति, दिनांक20 मई, 1985 के क्रमांक 7 के अंतर्गत पैरा–2 में उल्लेखित प्रोफेसर पी के रोहतगी के नाम और पदनाम के स्थान पर प्रोफेसर एस के बासु, निदेशक, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर का नाम आएगा ।

दिनांक 11 जुलाई 1985

सं०14/11/83–समिति–जनसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रोफेसर वी के गौड़, निदेशक, राष्ट्रीय भू–भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को डॉ० वी वी० आर वरदाचारी, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोआ के स्थान पर 1 जुलाई, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक के लिए भौतिक और भूविज्ञान समूह के समन्वय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । परिणामस्वरूप प्रोफेसर गौड़ उक्त अवधि के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा और सोसायटी के सदस्य रहेंगे तथा भारत के गजट के भाग–1, अनुभाग–1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1-7-84 समिति दिनांक 20 मई, 1985 के क्रमांक 6 के अन्तर्गत पैरा 2 में उल्लेखित डॉ वी वी आर वरदाचारी के नाम और पदनाम के स्थान पर प्रोफेसर वी के गौड़, निदेशक राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, का नाम रहेगा ।

श्रीनिवासन वरदराजन सचिव,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

पर्यावरण और वन मंत्रालय

वन व वन्य प्राणि विभाग

(वन्य प्राणि प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1985

संकल्प

सं० 6-1/85 एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू एल)—भारत सरकार ने भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड को पुनर्गणित करने का निर्णय किया है जो निम्न प्रकार से है ।

1.	अध्यक्ष	भारत के प्रधान मंत्री
2.	उपाध्यक्ष	केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री
3-5	सदस्य	भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सदस्य 2 लोक सभा व 1 राज्य सभा से
6.	सदस्य	अध्यक्ष, पशु कल्याण बोर्ड,
7.	सदस्य	अध्यक्ष, बम्बई प्राकृतिक इतिहास संस्था
8.	सदस्य	अध्यक्ष, ट्रस्टी बोर्ड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड फन्ड इण्डिया
9.	सदस्य	अध्यक्ष, वन्य प्राणि संरक्षण संस्था, देहरदून
10.	सदस्य	अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय वन्यप्राणि समुदाय, बंगलौर
11.	सदस्य	अध्यक्ष, आसाम घाटी वन्य प्राणि संरक्षण संस्था
12 से 21	सदस्य	सरकार द्वारा प्रतिलिखित पारिस्थितिकी विज्ञानी व पर्यावरणशास्त्रियों में से 10 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनीत किया जाना है।
22.	सदस्य	सचिव, वन व वन्यप्राणि विभाग
23.	सदस्य	सचिव, पर्यावरण विभाग
24.	सदस्य	सचिव, रक्षा मंत्रालय
25.	सदस्य	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
26.	सदस्य	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
27.	सदस्य	सचिव, शिक्षा मंत्रालय
28.	सदस्य	सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
29.	सदस्य	विशेष सचिव/वन महानिरीक्षक, वन व वन्य प्राणि विभाग
30.	सदस्य	महानिदेशक। पर्यटन
31.	सदस्य	सभापति, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून,
32.	सदस्य	निदेशक, भारतीय वन्यप्राणि संस्थान
33.	सदस्य	निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण
34.	सदस्य	निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

35. से 44. सदस्य — समय-समय पर भारत सरकार के निर्णय के अनुसार क्रमावर्तन द्वारा 10 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक से 1 प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मनोनीत किये जायेंगे तथा वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वन्य प्राणि संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

45 सदस्य सचिव — संयुक्तसचिव एवं महानिदेशक (वन्यप्राणि) वन व वन्य प्राणि विभाग, भारत सरकार

2. बोर्ड के कार्य ये होंगे :—

1. मौसमी व क्षेत्रीय संवरण के विशेष संदर्भ सहित समन्वित विधायी तथा व्यवहारिक उपायों द्वारा चोरी से वन्यप्राणियों के शिकार पर प्रभावकारी नियंत्रण तथा संरक्षण के विकास के रूप में केन्द्र व राज्य सरकारों को सलाह देना तथा संरक्षित पशुओं के रूप में पशुओं की विशेष जातियों की घोषणा तथा अन्धाधुन्ध हत्या को रोकना ।

2 वन्य प्राणि में जन-अभिरुचि तथा प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण के साथ सामंजस्यता में इसके संरक्षण की आवश्यकता का विकास करना ।

3. राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों तथा चिड़ियाघरों की स्थापना के लिए सलाह देना ।

4. जीवित प्राणियों, ट्रॉफीज, खाल, लोमचर्म पंखों तथा अन्य वन्य-प्राणी उत्पादनों के निर्यात के संबंध में नीति पर सरकार को सलाह देना ।

5. वन्य प्राणि संस्थाओं की स्थापना में सहायता देना व प्रोत्साहित करना तथा ऐसे सभी निकायों के लिए केन्द्रीय समन्वित अभिकरण के रूप में कार्य करना ।

6. देश में वन्यप्राणि संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण करना तथा विकास के लिए ऐसे उपायों का सुझाव देना जो विचार के लिए आवश्यक है ।

7. ऐसे सभी कार्यों को करना जोकि उन उद्देश्यों से सम्बन्धित है जिनके लिए बोर्ड की स्थापना की गई ।

8. बोर्ड को सौंपे गये किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, बशर्ते, सम्बन्धित विषय क्षेत्र बोर्ड के निर्धारित कार्यों के अन्तर्गत आता हो ।

9. भारत सरकार के निर्देश पर या अन्यों के सहयोग से या स्वयं, ऐसे सभी कार्यों को करना, जिनको बोर्ड वन्यप्राणियों के परिरक्षण व संरक्षण के लिए आवश्यक, उपयुक्त व सहायक समझता है या इसमें उल्लिखित सभी को सम्मिलित करते हुए, सभी समान उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए इसकी स्थापना की गयी ।

3 सदस्यता की अवधि

1. उन सदस्यों की अपेक्षा, जो कार्यालय के सदस्य हैं या उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। अन्यथा, जब तक आदेश न दिए जायें, बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक चार वर्ष बाद किया जायगा।

2. संसद सदस्य, जो कि बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है, तब तक सदस्य रहेगा जब तक बोर्ड का पुनर्गठन चार वर्ष बाद न हो जाये, या जब तक वह संसद के भंग होने पर सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती या वह स्वयं सदस्यता समाप्त कर दे ।

3. निम्नलिखित किसी भी कारण से सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायगी, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वह त्यागपत्र देता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या चरित्रहीनता के कारण न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया जाये ।

4. उपर्युक्त किसी भी कारण से, सदस्यता के रिक्त स्थान की पूर्ति नियुक्ति व मनोनयन द्वारा, उन प्राधिकारियों द्वारा की जायगी, जिनको ऐसी नियुक्ति व मनोनयन करने का अधिकार है ।

ऐसे सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति, चार वर्ष की अवधि के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए की जायगी ।

4. बोर्ड की बैठकें

साधारणतया बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा उसकी बैठकें केन्द्र तथा देश के चारों क्षेत्रों में क्रमावर्तन द्वारा होंगी ।

5. बोर्ड एक स्थायी समिति का गठन करेगा जो :—

1. बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन तथा उनसे उठने वाले किसी मामले पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सहायता तथा सलाह देगी ।

2. बोर्ड के सभी ऐसे कार्यों को करना जिन्हें बोर्ड समय-समय पर, उसे प्रदान करे तथा इसके साथ-साथ जबकि बोर्ड की बैठक हो रही हो तथा तब बोर्ड की ओर से कार्यवाही करना ।

3. बोर्ड के कार्यों को ठीक ढंग से करने के लिए, समय-समय पर विशेषज्ञ समिति, उप-समितियां तथा अध्ययन दलों जैसा भी आवश्यक हो का गठन करना। बोर्ड विशिष्ट विषयों अथवा मामलों में विचार-विमर्श के लिए समितियों अथवा अध्ययन दलों का भी गठन कर सकता है ।

6. जब कभी बोर्ड की बैठक हो तो बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के समूह I अधिकारियों को दिया जाने वाला देय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा ।

7. भारत सरकार, पर्यावरण विभाग के दिनांक 6-7-1983 संकल्प सं० 6-21/82 दिनांक 10-8-1983, 30-9-83 के आदेश सं० 6-21/82 एफ० आर० आई० (वन्य प्राणि) तथा दिनांक 26-9-83 के शुद्धिपत्र सं० 6-21/82 एफ० आर० आई० (वन्य प्राणी) वन्य प्राणियों के लिए भारतीय बोर्ड के सम्बन्ध में एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेश है कि सभी संबंधितों को संकल्प की एक प्रति दी जाये ।

यह भी आदेश है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

टी० एन० शेषन, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1985

संकल्प

सं० 1-48/82-एफ० आर० ई०/आई० एफ० एस० निम्नलिखित पदों को कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या योजना से सम्बन्धित संकल्प सं० 1-11/76-भा० वन० सेवा दिनांक 9 जनवरी, 1984 से संलग्न अनुबंध आई० बी० से हटा दिया गया है ।

वनपाल के रैंक के वेतनमान (1800-2000 रु०+200 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन) वाले आई० बी० पद :—

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	समन्वयक, वन मृदा एवं वनस्पति सर्वेक्षण	1800-2000-/रु० 200 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन	1	वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून
2.	समन्वयक, पर्यावरण अनुसंधान केन्द्र	-तदैव-	1	-तदैव-
3.	समन्वयक, नकदी फसल, रांची	-तदैव-	1	-तदैव-

1	2	3	4	5
4.	समन्वयक, भारत डेनिश बीज अधिप्राप्ति एवं वृक्ष सुधार परियोजना, हैदराबाद ।	1800–2000 रु० 200 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन	1	वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय
5.	वनपाल, चन्दन अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर ।	–तदैव–		–तदैव–

एम० वी० केशवन, उप सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 1985

संकल्प

सं० ई०-11017/1/85–रा० भा० का०–स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित 8 सितम्बर 1982 के संकल्प संख्या ई० 11017/3/80–रा० भा० कार्यान्वयन का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति के गठन और कार्य इस प्रकार होंगे :–

1. गठन :

1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
5.	अपर सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6.	अपर सचिव और आयुक्त (प० क०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
7.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
9.	श्री कमला प्रसाद सिंह सदस्य, लोक सभा	सदस्य
10.	डा० सी० एस० त्रिपाठी, सदस्य लोक सभा	सदस्य
11.	श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
12.	श्रीमती शान्ति पहाड़िया, सदस्य राज्य सभा	सदस्य
13.	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य	सदस्य
14.	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य	सदस्य
15.	अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री विभूति मिश्र, प्रतिनिधि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	सदस्य
17.	अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एकम बाई-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली	सदस्य
18.	वैद्य प्रियव्रत शर्मा, 39, गुरु धाम कालोनी, वाराणसी	सदस्य
19.	अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
20.	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
21.	निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	सदस्य
22.	श्री शंकर राव लौढ़े, प्रतिनिधि राजभाषा प्रचार समिति, वर्धा	सदस्य
23.	श्री मुकुल चन्द पाण्डेय, प्रतिनिधि, हिन्दी व्यवहार संगठन, लखनऊ ।	सदस्य
24.	श्री गुंटूका रामास्वामी, भूतपूर्व मंत्री, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
25.	श्री मनुभाई खोडाभाई पटेल, ग्राम जिवका, तालुक खम्भात, जिला–खेड़ा (गुजरात)	सदस्य
26.	डा० राजाराम शास्त्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, वाराणसी	सदस्य
27.	श्री शांति सक्सेना, मेरठ	सदस्य
28.	श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर" सी० 4/31 सराय गोवर्धन, वाराणसी	सदस्य
29.	श्री एम० के० वेलायुधन नायर, मंत्री केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनन्तपुरम	सदस्य
30.	श्री शिवकांत मिश्रा, लखनऊ	सदस्य
31.	डा० आर० वेंकटकृष्णन, अध्यक्ष, मद्रास हिन्दी प्रचार संघ, 104, कोदण्ड राम कोइल स्ट्रीट, वेस्ट माम्बलम, मद्रास–600033	सदस्य
32.	श्री एम० एस० कृष्णमूर्ति, रीडर (हिन्दी विभाग) मैसूर विश्वविद्यालय, मानस गंगोत्री, मैसूर–6	सदस्य
33.	श्री राम नारायण काबरा, वजीराबाद, नांदेड, महाराष्ट्र	सदस्य
34.	संयुक्त सचिव, इंचार्ज हिन्दी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग एवं केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों से संबंधित मामलों में सलाह देना होगा ।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा ।

1. समिति में नामजद कोई सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेगा उसी समय से वह इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा ।
2. कार्यकाल के बीच में रिक्त हुआ स्थान उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जायेगा और वह अधिकारी 3 वर्ष की अवधि के बाकी समय के लिए सदस्य रहेगा ।

4. सामान्य

I. समिति आवश्यकता समझने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

II. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है ।

5. यात्रा व अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते दिए जायेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रि-मण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 1985

सं० 13-3-85-बि० क० ए०—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के खण्ड 2 के उप खण्ड (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृषि निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को हिमाचल प्रदेश राज्य में उक्त आदेश के खण्ड 4 और 21 के अधीन नियंत्रक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

बी० के० तैमनी, संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1985

सं० एफ० 10-3/85-यू०-5—भारतीय सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संघ के ज्ञापन तथा नियमावली के नियम 3, 6 और 7 के अनुसार भारत सरकार एतद्द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली के भूतपूर्व सचिव श्री के० वी० रामानाथन की शेष अवधि के लिए, जो 31-3-87 को समाप्त होती है, योजना आयोग के सचिव, श्री सी० जी० सेनियाह को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में नामजद करती है ।

गुरबक्श सिंह, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 30th July 1985

No. 72-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri R. P. Singh,
Deputy Superintendent of Police,
District Badaun.

Shri Indrapal Singh,
Sub-Inspector of Police,
District Badaun.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th December, 1981, at about 19.15 hours, Station Officer, Police Station, Bilsi, got information that a gang of dacoits was assembling in village Gudhni to commit a dacoity in the house of one Shri Ram Singh of village Dhanauli. This information was conveyed to District Headquarters and the Superintendent of Police alongwith Shri R. P. Singh, Deputy Superintendent of Police and a 'posse' of force including Shri Indrapal Singh, Sub-Inspector, reached village Gudhni and surrounded the grove where the gang was to assemble. The gang assembled at about mid-night. The Police Party challenged the gang to surrender and VLP shots were fired. The gang opened indiscriminate firing on the police party. The police party returned the fire and closed in from flanks to apprehend the dacoits. Due to bold manoeuvre by the police party eleven dacoits were arrested in the grove and others fled away under the cover of darkness. Shri R. P. Singh, Deputy Superintendent of Police, alongwith 6 Sub-Inspectors, 3 Head Constables and 11 Constables, including Sub-Inspector Indrapal Singh, chased the fleeing dacoits. The chase continued for 13 kilometres with sporadic exchange of fire. Shri R. P. Singh, Deputy Superintendent of Police reinforced the police cardon and drove away the dacoits in that very direction. The dacoits escaped towards village Pildaul, Khitaura and reached Gonhi-Ka-Nagla and hid themselves in a grove. The Police Party located the dacoits and challenged them to surrender but the dacoits started firing. At this time the police party were divided into two groups. The first group continued firing while the second group crawled towards the dacoits for a direct attack. Having found themselves surrounded the dacoits ran out of the grove in order to escape police firing. Four dacoits were, however, killed in the firing who were later identified as Radhey alias Natia, Kesho alias Krishna, Murari and Chandrapal, all of district Etah.

In this encounter Shri R. P. Singh, Deputy Superintendent of Police and Shri Indrapal Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th December, 1981.

No. 75-Pres./85.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh police :—

Names and rank of the officers

Shri Sailja Kant Misra,
Supdt. of Police (City),
Aligarh.

Shri Shiv Kumar Sharma,
Deputy Supdt. of Police,
Aligarh

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th June, 1984, information was received by the Senior Superintendent of Police, Aligarh, that dacoit Ansar with two of his associates was present in Aligarh University Campus with his Fiat Car. He alongwith Shri Sailja Kant Misra, Supdt. of Police (City), Shri Shiv Kumar Sharma, Deputy Supdt. of Police, Shri Maqsood Ahmad, SHO, Civil Lines and a small contingent of police force rushed to organise a raid. The police party, after reaching the Hydel Inspection House, moved in plain clothes towards Art Faculty of the University. In order to locate the Fiat Car, Shri S. K. Misra, Supdt. of Police, and Shri S. K. Sharma, Deputy Supdt of Police, walked upto the garage and signalled the presence of the Car to the police party. The officers noticed that the engine of the Car had been started and it was about to move with one person at the driver's seat and two others on the rear seats. The officers asked the occupants to come out of the Car. One of the occupants sitting at the rear was covered by Shri Misra and the other by Shri Sharma. On this, the person who was being covered by Shri Sharma, swiftly took out his revolver and fired at him. The bullet hit Shri Sharma in his left hand but he remained unperturbed. He jumped on the assailant and pulled him out of the Car. Meanwhile, the driver of the Car also took out his revolver and fired at Shri Misra. One of the bullets hit Shri Misra in his left hand. Taking advantage of the situation the assailant, who was subsequently identified as 'Ansar', freed himself and ran towards the front of the Car. Having taken a safer position, Ansar took out his semi-automatic pistol and started firing at Shri Misra who positioned himself behind the partition wall of the garage. Shri Misra returned the fire. The driver, in the meanwhile, took position near the bushes adjacent to the block of garages and started firing at the two officers.

Shri S. K. Sharma was still grappling with the man in his grip. He was fired upon by Ansar but the officer escaped. He moved out to one side and in the melee the person in his grip got himself freed and tried to reload his pistol. Taking advantage of the occasion, Shri Sharma at once fired at him killing the assailant on the spot. The driver escaped taking advantage of the bushes. Ansar also tried to escape but Shri Misra made a bold dash and succeeded in shooting him down. Even after having been injured, Ansar tried to fire from his pistol but was fired upon again by the police party and he died on the spot. The police recovered one 7.65 calibre semi-automatic pistol and one C. M. pistol from the dacoits.

In this encounter Shri Sailja Kant Misra, Superintendent of Police, and Shri Shiv Kumar Sharma, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the President's Police

Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th June, 1984.

No. 76-Pres.85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and the rank of the officer

Shri Kundan Singh Bhist (*Posthumous*)
Head Constable No. 67933283,
93 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 5th June, 1984, a party of Commandos of the Special Task Force, BSF, consisting of 54 officers and other ranks, was deployed to execute the task of flushing our extremists from the Hotel Temple View, near the Golden Temple, Amritsar. Inspite of stiff resistence, the party managed to get into the hotel and started clearing different floors. The third floor of the building was particularly vulnerable as it was under heavy fire coming through the windows of the Golden Temple Complex. Despite great risk involved to his life Shri Kundan Singh Bisht, Head Constable who was included in the party, volunteered to lead a small group on to the third floor to clear the extremists. As soon as he reached the floor he was hit by a bullet which pierced through the left portion of his chest. Inspite of being seriously injured he continued to engage the terrorists and inspiring his comrades for the attack. As a result of the accurate and concentrated fire by the party the terrorists had no option but to leave the building through a rear exist. The building was them occupied by Special Task Force and fully cleared of the terrorists. Shri Kundan Singh Bist, Head Constable later succumbed to his injuries.

In this encounter, Shri Kundan Singh Bist, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, indomitable courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th June, 1984.

No. 77-Pres.|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Suresh Chandra Sharma,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Moosanagar,
Kanpur Dehat.

Shri Om Prakash Ojha,
Sub-Inspector of Police,

Police Station Moosanagar,
Kanpur Dehat.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 25th May, 1981, Shri Suresh Chandra Sharma, Station House Officer, Moosanagar, District Kanpur Dehat, received information about the presence of the dacoit gang of Raghunath Mallah in the house of Ramcharan Kewat in village Dubai. He alongwith available police and PAC force, reached village Dubai. On reaching the spot Shri Sharma divided the entire force into two parties. Shri Sharma was incharge of the first party while the second party was headed by Shri Akshai Sharma, Sub-Inspector of Police. The second party was positioned at the eastern side of the village and cordoned the protable hide-out of the dacoits. The first party surrounded the house of Shri Ram charan Kewat from three sides leaving the northern side open. While Shri Sharma was approaching the house where the dacoits were taking shelter, he was spotted and fired upon by the dacoit. But he immediately took cover and returned the fire in self defence. In the exchange of fire one of the dacoits was hit and died on the spot. Moving inch by inch Shri Sharma stealthily reached the house of Jwala Kewat and took position on the roof. In the meantime Shri Om Prakash Ohja, Sub-Inspector, alongwith some members of his party reached the spot from the western side and Shri Akshai Sharma and Shri C C Hari Saran Singh also advanced from the eastern and the southern sides respectively, and encircled the dacoits from all the three sides. The Police party simultaneously opened fire on the dacoits. Shri Sharma came down from the roof and gave a kerosene wet piece of cloth to a Constable to throw inside the house. The Police simultaneously threw hand grenades and the house was set ablaze. Thus the dacoits came out and attempted to run away. One of the dacoits fell prey to police bullet and died. As soon as the remaining dacoits reached the southern side in their bid to escape another dacoit was killed by the police firing. At this time the dacoits who were hiding in another house of Chhiddu Kewat rushed out and opened fire on the police party. In the exchange of fire one more dacoit was shot dead by the police. Other dacoits managed to escape taking advantage of darkness. On searching the place of incident six dacoits were found dead. 3 SBBL guns, 1 DBBL gun, 2 SBBL CM guns with huge quantity of live and empty cartridges were also recovered from the scene of occurence.

In this encounter Shri Suresh Chandra Sharma, Sub-Inspector, and Shri Om Prakash Ojha, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th May, 1981.

No. 78-Pres|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Kerala Police :—

Name and rank of the officer

Shri P. Chandran, (*Posthumous*)
Constable No. 2166,
Palghat (Kerala).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th February, 1984, Constable P. Chandran was detailed for duty at the Sub-Treasury, Palghat, which is near the Sub-Divisional Magistrate's Court of Palghat. Three desperaded Thenga Manga Vasudevan, Goorka Sundaran and Sethu Madhavan arrived at the court premises to rescue one Ravi, a known depredator who was brought to the Court under judicial custody alongwith others facing trials. In order to distract the attention of Police and also the public the above three desperadoes made loud noise and created confusion there. On seeing this Constable Periaswamy, who was on Court duty, interfered and tried to restore under. Infuriated by this, one of the desperadoes Thenga Manga Vasudevan stabbed Shri Periaswamy on his right arm. However the Constable did not loose courage and tried to over-power the assailant. The attempt was foiled by the friends of the assailant and all of them escaped from the place. On seeing this Shri P. Chandran, gave a hot chase to the assailant followed by Shri Periaswamy. Shri Chandran tried to catch hold of the assailant Vasudevan who had a knife in his hand. In the scuffle Shri Chandran was stabbed in his stomach. Unmindful of the grievous injuries sustained by him, he did not give up the chase and with the help of public arrested the assailant. Shri P. Chandran, Constable was immediately admitted to the District Hospital, Palghat, and after a major operation he was shifted to Medical College Hospital, Coimbatore, where he succumbed to his injuries.

In this incident Shri P. Chandran, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th February, 1984.

No. 79-Pres.|85.—The President is pleased to award the Police eMdal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Kakkan Ram,
Sub-Inspector of Police,
District Gorakhpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 20th November, 1982, four members of the gang of Hari Shanker came on Motor Cycle and attacked Shri Angad Singh, Shri Sarjoo Yadav (Bodyguard of MLA), Shri Jai Ram Singh, Shri Promod Kumar Singh, Shri Jagat Pal Singh and Shri Akhilesh Kumar Singh who were sitting in the verandah of Shrimati Gauri Devi, MLA, in Mohalla Main Bazar, Gorakhpur City. The culprits used country made bombs and pistols in the incident in which Shri Angad Singh and Shri Sarjoo Yadav received injuries. Shri Sarjoo Yadav fired with his revolver but the criminals fled away towards Collectorate crossing. Shri Kakkan Ram, Sub-Inspector of Police, who was on patrol duty and passing that way on his Motor Cycle, heard the sound of bombs and saw four criminals escaping on a Motor Cycle with pistols in their hands. He lost no time and without giving a thought to his personal safety chased the culprits and rammed his Motor Cycle into that of the criminals, as a result of which he and one of the culprits Vittan Singh fell down. The criminal Vittan Singh stood up and fled away threatening the people with the country made pistol which he was brandishing in his hand. Despite injuries sustained by him in the fall, Shri Kakkan Ram chased the criminal who was threatening him by firing at intervals. Ultimately the culprit entered Agrawal Cream Centre, Golgher, and fired at Shri Kakkan Ram. Fortunately the shot misfired and Shri Kakkan Ram taking advantage of the situation caught hold of the pistol of the criminal after a hand to hand fight and arrested him.

In this encounter Shri Kakkan Ram, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th November, 1982.

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 18th July 1985

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence for R. 66 *Structure measuring* 15 *sq. kms. to ONGC (BOP)*.

ORDER

No. O-12012|27|85-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from 1-5-1985 for R. 66 structure area measuring 15 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars there of.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometre or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;
(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;
(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to off-shore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of Oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence/Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement|cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

SCHEDULE 'A'

Geographical Coordinates of R—66 Structure measuring the area 15 sq. kms.

Point	LAT.	LONG
A	72° 17′ 27″	18° 08′ 12″
B	72° 18′ 47″	18° 08′ 44″
C	72° 17′ 20″	18° 11′ 20″
D	72° 16′ 00″	18° 10′ 48″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

————————————

By order in the name of the President of India. (Signature)

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th July 1985

RESOLUTION

No. Ind. Gas|2(9)|84-Vol.II.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panel for Industrial Gases with the following composition for a period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri N. Biswas,
Dy. Director General, DGTD,
New Delhi-11.

Members

2. Shri K. K. Kapoor,
M/s. Kapoor Air Products,
10 DLF Industrial Area,
Najafgarh Road,
New Delhi-15.

3. Shri R. C. Aggarwal,
Mg. Director,
M/s. Karnataka Oxygen Ltd.,
Whitefield Road,
Mahadevapura P.O.,
Bangalore-48.

4. Shri G. Ballaya,
Vice President,
M/s. Asiatic Oxygen Ltd.,
8 BBD Bagh East,
Calcutta.

5. Shri S. Budhiraja,
Mg. Director,
M/s. Indian Oxygen Ltd.,
Oxygen House,
P-34, Taratala Road,
Indian Oxygen Ltd.,
Calcutta-88.

6. Shri P. Kishore,
Vice President,
M/s. Asiatic Oxygen & Acetylene Ltd.,
8 BBD Bagh East,
Calcutta-1.

7. Shri M. S. Sastry,
Sales Manager (Cryogenic),
Bharat Heavy Plates & Vessels,
Vishakhapatnam-12.

8. Shri Sushil Kumar,
Manager,
Bharat Pumps & Compressors Ltd.,
Naini, Allahabad-10.

9. Shri P. K. Jain,
M/s. Industrial Oxygen Co. (P) Ltd.,
68, Jolly Maker Chambers-II,
Nariman Point,
Bombay.

10. Dr. A. P. Jain,
Assistant Director,
National Physical Laboratory,
New Delhi.

11. Chief Controller of Explosives,
Nagpur.

12. Shri C. A. Engineer,
Bombay Carbon Dioxide Corporation,
Jehangir Villa, 107, Wodehouse Road,
Colaba, Bombay-400005.

13. General Secretary,
All-India Gas Manufacturers Association,
Mr. S. Deb's Secretary, (Alternative member),
9-A Connaught Place,
New Delhi.

14. Shri M. S. Grover, *Member Secretary*
Industrial Adviser,
D. G. T. D.,
New Delhi.

2. Terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To consider the present stage of development of the industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) Forecasting of future technological needs including technology and quality upgradation.

(iii) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with I.S.I.

(iv) To consider norms of materials and energy conservation aspects.

(v) To study the state-wise/region-wise requirement for various industries and suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs to future years to come.

(vi) To study the economic norms for installed capacity in planning and operation to minimise the investment cost and increase the competitive nature of the industry.

(vii) Modernisation and

(viii) Any other point, deemed fit.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Dir. (Adm.)

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRAL RESEARCH

New Delhi, the 10th July 1985

No. 14|11|83-CTE.—It is notified for general information that Professor S. K. Basu, Director, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur has been appointed as Chairman, Coordination Council for Engineering Sciences Group with effect from 25 June, 1985 to 25 May, 1986 in place of Prof P. K. Rohatgi, Director, Regional Research Laboratory, Bhopal, who have been granted leave from 27 May, 1985 to 25 May, 1986. Consequently, Prof. Basu will be a Member of the Governing Body and the Society of Council of Scientific & Industrial Research for the said duration and the name and designation of Prof. P. K. Rohatgi appearing at S. No. 7 under para 2 of Notification No. 1|7|84-CTE dated 20 May, 1985 published in Part I, Section I of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Prof. S. K. Basu, Director, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur.

The 11th July 1985

No. 14|11|83-CTE.—It is notified for general information that Prof. V. K. Gaur, Director, National Geophysical Research Institute, Hyderabad has been appointed as Chairman, Coordination Council for Physical and Earth Sciences Group with effect from 1 July, 1985 to 31 March, 1986 in place of Dr. V. V. R. Varadachari, Director, National Institute of Oceanography, Goa. Consequently, Prof. Gaur will be a member of the Governing Body and the Society of Council of Scientific & Industrial Research for the said duration and the name and designation of Dr. V. V. R. Varadachari appearing at S. No. 6 under para 2 of Notification No. 1|7|84-CTS dated 20 May, 1985 published in Part I, Section I of

the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Prof. V. K. Gaur, Director, National Geophysical Research Institute, Hyderabad.

S. VARADARAJAN
Secy.

Department of Scientific and Industial Research and Director General, Scientific & Industrial Research

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE
(WILDLIFE DIVISION)

New Delhi, the 5th June 1985

RESOLUTION

No. 6-1|85-FRY(WL).—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Board for Wildlife as follows :—

Chairman

Prime Minister of India.

Vice-Chairman

Union Minister of State for Environment and Forests.

Members

Three members representing the Parliament of India—Two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha.

Chairman, Animal Welfare Board.

President, Bombay Natural History Society.

President, Board of Trustees, World Wildlife Fund—India.

President, Wildlife Preservation Society Dehra Dun.

President, wildlife Association of South India, Bangalore.

Chairman, Assam Valley Wildlife Preservation Society.

10 Non-Officials to be nominated by the Government from amongst eminent conservationists, ecologists and Environmentalists.

Secretary, Department of Forests & Wildlife.

Secretary, Department of Environment.

Secretary, Ministry of Defence.

Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance.

Secretary, Ministry of Commerce.

Secretary, Department of Education.

Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.

Special Secretary|Inspector General of Forests, Department of Forests & Wildlife.

Director General of Tourism.

President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun.

Director, Wildlife Institute of India.

Director, Zoological Survey of India.

Director, Botanical Survey of India.

One representative each from 10 States & Union Territories by rotation, as may be decided by Government of India from time to time. Such representative would be nominated by the concerned State Government|Union Territory Administration and would represent the Wildlife organisation in the State|Union Territory.

Member-Secretary

Joint Secretary and Director (Wildlife) Department of Forests & Wildlife, Government of India.

2. The functions of the Board shall be :—

(i) to advise the Central and State Governments on ways and means of promoting conservation and effectively controlling poaching of wildlife through coordinated legislative and practical measures with particular reference to seasonal and regional closures and the declaration of certain species of animals as protected animals and the prevention of indiscriminate killing;

(ii) to promote public interest in wildlife and on the need for its preservation in harmony with natural and human environment;

(iii) to advise on the setting up of national parks, sanctuaries and zoological gardens;

(iv) to advise the Government on policy regarding export of living animals, trophies, skins, furs, feathers and other products of wildlife;

(v) to assist and encourage the formation of wildlife societies and to act as a Central Coordinating Agency for all such bodies;

(vi) to review from time to time the progress in the field of wildlife conservation in the country and suggest such measures for improvements as are considered necessary;

(vii) to perform such other functions as are germane to the purposes for which the Board is constituted.

(viii) to advise the Central Government on any matter that it may refer to the Board, provided the subject matter of the reference falls within the prescribed functions of the Board.

(ix) to do all such other things either alone or in conjunction with others or on the direction of the Government of India, which the Board may consider necessary, advisable or conducive to the preservation and conservation of wildlife or for other similar purpose for which it is constituted, including those mentioned herein.

3. *Duration of Membership*

(i) Members other than those who are members of office or appointment held by them, shall hold office for a period of four years. The Board would be reconstituted after every four years, unless otherwise ordered.

(ii) A Member of Parliament, nominated as a member of the Board, will continue to be such till the Board is reconstituted after four years, or otherwise, unless he ceases to be such on the dissolution of the Parliament, or on his ceasing to be a member.

(iii) A member shall cease to hold office on the happening of any of the following events; if he shall die, resign, become of unsound mind, become insolvent or be convicted by a court of law of a criminal offence involving turpitude.

(iv) Any vacancy in the membership caused by any of the reasons mentioned above shall be filled by appointment or nomination by the authority entitled to make such appointment or nomination. All such vacancies shall be filled for the remaining period out of the tenure period of four years.

4. *Meetings of the Board*

The Board shall ordinarily meet once a year and its meetings may be held in rotation in each of the four regions of the country as well as at the Centre.

5. The Board shall appoint a Standing Committee to :

(i) watch the implementation of the recommendations of the Board and to aid and advise the Central and State Governments on any matter arising therefrom;

(ii) carry out all such functions of the Board as the Board may, from time to time, delegate to it, as well as to take action on behalf of the Board while it is not in session; and

(iii) constitute specialised Committee, Sub-Committees and Study Groups as may be necessary, from time to time, for the proper discharge of the functions of the Board.

6. Travelling allowance and daily allowance will be payable to non-official members of the Board as admissible to Grade I Officers of the Government of India as and when meetings of the Board are held.

7. Government of India, Department of Environment Resolution Nos. 6-21|82-FRY(WL), dated 6-7-1983, Orders No. 6-21|82-FRY(WL) dated 10-8-1983, 30-9-1983 and corrigendum No. 6-21|82-FRY(WL), dated 26-9-1983 regarding the Indian Board for wildlife are hereby repealed.

ORDERED that a copy of the Resolution be Communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. SESHAN, Secy.

New Delhi, the 25th June 1985

RESOLUTION

No. 1-48|82-FRE|IFS.—The following posts are excluded from Annexure IB appended to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) Resolution No. 1-11|75-IFS dated the 9th January, 1984 relating to the Central Staffing Scheme :

IB POSTS CARRYING SCALE OF PAY IN THE RANK OF CONSERVATOR OF FORESTS (RS. 1800-200/- SPECIAL PAY OF Rs. 200/- p.m.)

S. No.	Designation	Scale of pay	No. of posts	Name of office
1.	Coordinator, Forest Soil-cum-Vegetation Survey.	Rs. 1800-2000/- S.P. Rs.200/-p.m.	1	Forest Research Institute Colleges, Dehradun.
2.	Coordinator, Environmental Research Station.	Do.	1	Do.
3.	Coordinator, Cash Crops, Ranchi	Do.	1	Do.
4.	Coordinator, Indo-Danish Project on Seed Procurement and Tree Improvement, Hyderabad	Do.	1	Do.
5.	Conservator of Forests Sandal Research Centre, Bangalore	Do.	1	Do.

M.V. KESAVAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July 1985

RESOLUTION

No. E. 11017|1|85-OLI.—In supersession of the Ministry of Health and Family Welfare Resolution No. E.11017|3|80-OLI dated the 8th September, 1982, amended from time to time the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee for the Ministry of Health and Family Welfare. The composition and function of the Committee will be as follows :—

(1) *Composition*

Chairman

1. Minister for Health and Family Welfare.

Vice-Chairman

2. Minister of State for Health & Family Welfare.

Members

3. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare.
4. Secretary, Department of Official Language & Hindi Advisor to the Govt. of India.
5. Additional Secretary & Commissioner (FW) Ministry of Health & Family Welfare.
6. Additional Secretary (Health), Ministry of Health & Family Welfare.
7. Director General of Health Services, New Delhi.
8. Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
9. Shri Kamala Prashad Singh, Member of Parliament, Lok Sabha.
10. Dr. C. S. Tripathi, Member of Parliament, Lok Sabha
11. Shri B. Satyanarayan Reddy, Member of Parliament, Rajya Sabha.
12. Smt. Shanti Pahadia, Member of Parliament, Rajya Sabha.
13. Vacant* } *Both Representative of Committee of
14. Vacant* } Parliament on Official Language.
15. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi.
16. Shri Vibhuti Mishra, Representative, Hindi Sahitya Sammelan Prayag.
17. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.
18. Vaidya Priyavrata Sharma, 39, Gurudham Colony, Varanasi.
19. President, Medical Council of India, New Delhi.
20. Director, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
21. Director, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.
22. Shri Shankar Rao Laundhe, Representative Rajbhasha Prachar Samiti, Wardha.
23. Shri Mukul Chand Pandey, Representative, Hindi Vyawahar Sangathan, Lucknow.
24. Shri Guka Ramaswami, Ex.-Minister, Andhra Pradesh.
25. Shri Manubhai Khodabhai Patel, Village Zichka, Talluk-Khambhat, Distt. Khera (Gujarat).
26. Dr. Raja Ram Shastri, Ex.-Member of Parliament, Varanasi.
27. Smt. Shanti Saxena, Meerut.
28. Shri Kashinath Upadhyaya 'Bhramar' C-4|31, Sarai Goverdhan, Varanasi.
29. Shri M. K. Velayudhan Nayar, Mantri, Keral Hindi Prashar Sabha.
30. Shri Shiv Kant Mishra, Lucknow.
31. Dr. R. Venkatkrishan, President, Madras Hindi Prachar Sangh, 104, Kodand Ram Koil Street, Madras.
32. Shri M. S. Krishnamurthy, Reader, Hindi Department, Mysore University, Manas Gangotri, Mysore.
33. Shri Ram Narayan Kabra Wazirabad, Naded, Maharashtra.

Member-Secretary

34. Joint Secretary, In-charge, Hindi, Ministry of Health & Family Welfare.

(2) *Functions*

The functions of the Committee will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes in the Ministry proper and its attached and subordinate offices in accordance with the policy laid down by the Central Hindi Committee and the Department of Official Language.

(3) *Tenure and Terms & Conditions*

The term of the Committee wil be 3 years from the date of its formation provided that :—

1. A member of Parliament nominated to this Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
2. Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned Member's successor in office. He shall be a member for the residue of the term of three years.

(4) *General*

1. The Committee may co-opt additional member and experts to attend its meetings as may be deemed neccesary.
2. Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(5) *Travelling and Other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be Communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Offices, Cabinet Sectt. Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all the Ministries and the Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SUDHAKAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRI. & COOPN.)

New Delhi, the 16th July 1985

No. 13-3|85-STU.—In pursuance of sub-clause (b) of clause 2 of the Fertiliser (Control) Order, 1957, the Central Government hereby empowers the Director of Agriculture, Government of Himachal Pradesh, Simla to exercise the functions of the Controller under clause 4 and 21 of the said Order, in the State of Himachal Pradesh.

B. K. TAIMNI
Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 16th July 1985

No. F.10-3|85-U-5.—Under Rules 3, 6 and 7 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, Government of India hereby nominate Shri C. G. Somiah, Secretary, Planning Commission as a member of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi for the residual term of Shri K. V. Ramanathan Ex-Secretary, Planning Commission, New Delhi, ending on 31-3-87.

GURBAX SINGH
Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985